Chandra Shekhar Azad Govt. P.G. Lead College, Sehore (M.P.)

Affiliated to Barkatullah University, Bhopal

NAAC Accredited "B" Grade

Website:- http://csapgcollegesehore.com/, E-mail:- hecsaglcseh@mp.gov.in,

Ph. No.- 07562-224156, 224240

7.1.1 - Measures initiated by the Institution for the promotion of gender equity during the year

Office of Principal, Chandra Shekhar Azad
Govt. P.G. Lead College Sehore
Ph.No. : 07562-224156, 224240, Fax : 07562- 224240
E_mail :- hecsaglcseh@mp.gov.in
Website :- https://csapgcollegesehore.com/

Annual Gender Sensitization Action Plan 2021-22

The government of India has an Act to provide protection against sexual harassment of women- 'The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal, Gazette of India part 2 section 1) Act, 2013'. These guidelines of the Act are the directives of the institution, in drafting an Annual Gender Sensitization Action Plan. The following is the plan for the current session.

(a) to provide information on POCSO Act
(b) to provide training for self defense
(c) to appoint two girls as campus ambassadors
(d) to provide awareness on women's rights in collaboration with police officers, advocates and legal advisors
(e) to install CCTV cameras at important places
(f) to provide contact numbers of Police, Counselors and Women Helpline
(g) to provide and ensure dignity of women through a Samman Abhiyan
(h) to organize seminars/workshops/lectures on women empowerment and health
(i) to organize health checkups for female students

Women Grievance Redressal Cell

Dr. Urmila Saluja - Presiding Officer
Dr. Farzana Rizvi - Member
Dr. Pramila Jain - Member
Dr. Jyoti Netam - Member
Dr. Nibha Jacob - Member
Dr. Jyoti Mishra - Member
Dr. Uday Dolas - Member
Dr. Arun Gautam - Member
Dr. Reena Markam - Member
Shri L.P. Keer - Member
Shri Kailash Vishwakarma - Member
Smt. Raziya Siddiqui - Member

Seen and approved for further action
PRINCIPAL
C.S.A.G.P.G. College
SEHORE (M.P.)
Dr. Urmila Saluja
Principal

Office of Principal, Chandra Shekhar Azad
Govt. P.G. Lead College Sehore

Ph.No. : 07562-224156, 224240, Fax : 07562- 224240
E_mail :- hecsaglcseh@mp.gov.in
Website :- https://csapgcollegesehore.com/

RAGGING IS A
PUNISHABLE ACT
DO NOT RAG
AND
DO NOT BE
A MUTE WITNESS
TO RAGGING
REPORT RAGGING

RAGGING MEANS :-

MENTAL OR PHYSICAL HARRASMENT/ ABUSING/
USE OF FORCE
FINANCIAL EXPLOITATION UNDERMINING HUMAN DIGNITY &
INDECENT BEHAVIOR

EACH OF THE ABOVE AND MANY OTHER SUCH ACTIVITIES ARE ACTS OF RAGGING AND ARE CRIMINAL OFFENCES.

❖REPORT SUCH ACTIVITIES

STUDENT INDULGING IN RAGGING CAN BE :-

EXPELLED FROM THE INSTITUTION , EXPELLED FROM THE HOSTEL , DEBARRED FROM EXAMINATIONS. PROSECUTED FOR CRIMINAL ACTION

IN INCIDENTS INVOLVING RAGGING OF ANY KIND, PLEASE IMMEDIATELY REPORT TO YOUR COLLEGE PRINCIPAL & COMMITTEE MEMBERS .

Dr. Urmila Saluja
Principal

PRINCIPAL
Chandra Shekhar Azad Govt. P. G
Nodal College, SEHORE (M. P.)

Office of Principal, Chandra Shekhar Azad Govt. P.G. Lead College Sehore

Ph.No. : 07562-224156, 224240, Fax : 07562- 224240
E_mail :- hecsaglcseh@mp.gov.in
Website :- https://csapgcollegesehore.com/

Anti Ragging / Discipline committee

No.	Name		Mobile No.
(1)	Dr. Uday Dolas	-	9425037867
(2)	Mr. Devendra kumar warwade	-	9926760437
(3)	Mr. Jai Singh	-	9935609769
(4)	Dr. Rukhsana Anjum Khan	-	9425661248
(5)	Dr. Rajkumar Rai	-	9827586106
(6)	Mr. Atul Jain	-	9425025385

Dr. Urmila Saluja
Principal

Chandra Shekhar Azad Govt. P. G.
Nodal College, SEHORE (M. P.)

CCTV Cameras for Security

GPS Map Camera
Sehore, Madhya Pradesh, India
Englishpura, Sehore, NH-86, Sagar Road, Sehore,
Chanakyapuri, Sehore, Madhya Pradesh 466001, India
Lat 23.203809°
Long 77.095966°
29/01/22 04:26 PM
Google

Girls Common Room

Sanitary Vending Machine

Child Care Leave

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल – 462004

Email

// आ दे श //

भोपाल दिनांक–9/4/21

क्रमांक:– 649/263/आउशि/शा–2/21, मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा(महाविद्यालयीन शाखा) में सेवारत निम्नलिखित प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापकों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कॉलन नं. 3 अनुसार संतान पालन अवकाश स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्र.	आवेदिका का नाम/महाविद्यालय का नाम	वांछित अवधि
1	डॉ0गीता वर्मा,सहायक प्राध्यापक, रसायनशास्त्र, शासकीय चंद्रशेखर आजाद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीहोर,म0प्र0	दिनांक 15.04.2021 से दिनांक 13.06.2021 तक (60 दिन)
2	डॉ0अफशॉ जाफरी,सहायक प्राध्यापक,अंग्रेजी, शासकीय गीतांजलि कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय,भोपाल	दिनांक 05.04.2021 से दिनांक 31.07.2021 तक (118 दिन)

(प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदित)

(डॉ.सुशील मण्डेरिया)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,भोपाल

क्रमांक– 650/263/आउशि/शा–2/21
भोपाल दिनांक–9/4/21.

प्रतिलिपि :–

1. महालेखाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर।
2. स्टॉफ आफिसर प्रमुख सचिव,उच्च शिक्षा विभाग,मंत्रालय,भोपाल।
3. संबंधित अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,म.प्र.
4. संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय,म0प्र0।
5. संबंधित कोषालय अधिकारी,म0प्र0।
6. संबंधित अधिकारी

.......................की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,भोपाल

09.04.2021

1074/2021
9/4/2021

Maternity Leave

कार्यालय प्राचार्य, चन्द्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर
अग्रणी महाविद्यालय सीहोर जिला सीहोर(म०प्र०)
Ph.No. : 07562-224156, 224240, Fax : 07562- 224240
E_mail :- hecsaglcseh@mp.gov.in
Website :- www.mpcolleges.nic.in/sehore

क्र 4603 /स्था/2020 सीहोर,दिनांक 23/12/2021

।। आदेश ।।

श्रीमती पूर्णिमा सिंह परिहार, सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी का अवकाश निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है।

1- प्रथम प्रसूति अवकाश दिनांक 15.03.2021 से 10.09.2021 कुल 180 दिवस

2- लघुकृत अवकाश दिनांक 11.09.2021 से 15.09.2021 तक 05(10) दिवस (बिना चिकित्सा प्रमाण के)

3- लघुकृत अवकाश दिनांक 05.10.2021 से 14.10.2021 तक 09(18) दिवस (चिकित्सा प्रमाण के आधार पर)

इसकी प्रविष्टि संबंधित की सेवा पुस्तिका में कर दी गई है तथा इनके द्वारा उक्त चिकित्सा अवकाश लेने के पश्चात इनके अवकाश खाते में 12 अर्द्धदिवस शेष है।

(डॉ.उर्मिला सलूजा)
प्राचार्य

पृ.क्र. 4604 /स्था/2020 सीहोर,दिनांक 23/12/2021

प्रतिलिपिः-

1- महालेखाकार, म.प्र.ग्वालियर(म0प्र0)।
2- जिला कोषालय अधिकारी, कोषालय सीहोर(म0प्र0)।
3- लेखापाल, च.शे.आ.शा.स्ना.अ.महावि. सीहोर(म0प्र0)।
4- श्रीमती पूर्णिमा सिंह परिहार, सहा.प्राध्या. अंग्रेजी, च.शे.आ.शा.स्ना.अ.महावि. सीहोर(म0प्र0)।
5- व्यक्तिगत नस्ती।

(डॉ.उर्मिला सलूजा)
प्राचार्य

Office of Principal, Chandra Shekhar Azad
Govt. P.G. Lead College Sehore
Ph.No. : 07562-224156, 224240, Fax : 07562- 224240
E_mail :- hecsaglcseh@mp.gov.in
Website :- https://csapgcollegesehore.com/

SCHOLARSHIPS FOR WOMEN

GAON KI BETI SCHOLARSHIP SCHIME FOR RURAL FEMALE STUDENTS

Session	No. of Students benefitted				Total Amount
	Gen.	OBC	SC	ST	
2017-18	29	169	18	02	1090000/-
2018-19	29	195	40	03	1335000/-
2019-20	25	216	67	02	1550000/-
2020-21	21	228	68	9	1630000/-
2021-22	24	228	69	12	1665000/-

PRATIBHA KIRAN SCHOLARSHIP SCHIME FOR URBAN FEMALE STUDENTS

Session	No. of Students benefitted				Total Amount
	Gen.	OBC	SC	ST	
2017-18	08	46	08	02	320000/-
2018-19	06	44	19	02	355000/-
2019-20	06	56	31	02	415000/-
2020-21	06	57	35	00	490000/-
2021-22	9	84	38	04	675000/-

Dr. Urmila Saluja
Principal
C.S.A. G. P. G. College
SEHORE (M. P.)

चन्द्रशेखर आज़ाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय

सीहोर (म.प्र.)

आंतरिक शिकायत निवारण समिति

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के प्रावधानों की जानकारी

- इच्छा के खिलाफ छूना या छूने की कोशिश करना।
- शारिरिक रिश्ता यौन सम्बन्ध बनाने की मांग करना या उम्मीद करना।
- यौन स्वभाव की (अश्लील बातें करना)।
- अश्लील तस्वीरें फिल्में या अन्य सामग्री दिखाना।
- कोई अन्य बाते जो यौन प्रकृति की हों, जो बात चीत द्वारा लिख कर या छू कर किया गया हो।

शिकायत के निवारण हेतु आंतरिक शिकायत समिति

क्र.	समिति के सदस्य	पद	[illegible] नम्बर
1	डॉ. फर[illegible]ाना [illegible]	[illegible]ध्यापक	9407510015
2	डॉ. प्रमि[illegible]ा जैन	प्राध्यापक	9425650750
3	डॉ. नो[illegible]कथ कुम[illegible]	प्राध्यापक	[illegible]826057368

महिल[illegible]

कैमरे
आंतरिक शिकायत
निवारण
समिति
2019.

महिला उत्पीड़न
कार्यशाला

और सशक्तिकरण"
- 14.03.2022
GLOBUS
Azad Govt. P.G. (Nodal) College
Sehore (M.P.)
TURE - SERIES
By : The Dept. of English
Principal

CHANDRA SHEKHAR AZAD GOVT. P.G.
NODAL COLLEGE, SEHORE (M.P.)
NAAC Accredited B++
Seminar On
"Mental Illness During and After
COVID-19"
Chief Spokes Person
Dr. Faizal Siddiqui,
P.G.M.O. , Mental Diseases Department
District Hospital , Sehore
Organized by
महिला उत्पीड़न एवं आंतरिक परिवाद, पोस्को समिति
P & IQAC Cell
02.2021
GLOBUS

Topics Related to Gender Issues in Syllabus

17

मानव अधिकार
(HUMAN RIGHTS)

प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक तथा लेखक जीन जैक्स रूसो ने आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व लिखा था, ''मनुष्य स्वतन्त्र पैदा हुआ है, पर हर जगह व जंजीरों में जकड़ा हुआ है।'' अपनी इस सूक्ति में रूसो ने शोषण तथा असमानता के बन्धनों में जकड़े हुए जनसाधारण की स्वतन्त्र होने की और स्वाधीनता, आजादी तथा समानता का बेहतर जीवन प्राप्त करने की आकांक्षा को व्यक्त किया था। वास्तव में, अनेक सामाजिक विचारक तथा राजनीतिक आन्दोलन बहुत समय से मनुष्य को उन जंजीरों से मुक्त कराने का, जिनमें वह जकड़ा रहा है, उन्हें उन अधिकारों का उपभोग करते हुए देखने का प्रयत्न करते रहे हैं जिन्हें रूसो स्वाभाविक, अभिन्न तथा अविभाज्य समझते थे।

अधिकार सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं जिनके बिना न तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। राज्य का सर्वोत्तम लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, राज्य के द्वारा व्यक्ति को कतिपय सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली इन बाहरी सुविधाओं का नाम ही अधिकार है।

अमरीकी तथा फ्रांसीसी क्रान्तियों के पश्चात् मानव अधिकारों की जो घोषणा हुई उसके द्वारा मानव के महत्वपूर्ण अधिकारों को स्वीकार किया गया। सन् 1941 ई. में अमरीकी कांग्रेस को दिए गए सन्देश में अमरीका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने चार स्वतन्त्रताओं पर बल दिया था—भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, धर्म तथा विश्वास की स्वतन्त्रता, अभाव से स्वतन्त्रता तथा भय से स्वतन्त्रता—ये सभी अधिकार विश्व में हर स्थान पर सभी को प्राप्त होने चाहिए। अटलाण्टिक चार्टर से लेकर द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने के पूर्व अनेक सम्मेलनों में मित्र-राष्ट्रों के द्वारा मानवीय अधिकारों तथा आधारभूत स्वतन्त्रताओं पर बार-बार बल दिया गया।

विश्व शान्ति तथा सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के प्राथमिक सुझाव 1944 में डंबार्टन ओक्स सम्मेलन में स्वीकार किए गए थे। उस समय यह कल्पना नहीं की गयी थी कि मानव अधिकारों तथा मूलभूत स्वतन्त्रताओं के सम्मान को बढ़ावा तथा प्रोत्साहन देने को इस प्रस्तावित संगठन का एक बुनियादी उद्देश्य निर्धारित किया जाए। लेकिन जब दूसरे महायुद्ध के बाद 1945 में संयुक्त राष्ट्रसंघ का घोषणा-पत्र तैयार करने के लिए सैनफ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ तो सोवियत संघ के प्रतिनिधि मण्डल की पहलकदमी पर ही घोषणा-पत्र तैयार करने वालों ने मानव अधिकारों तथा मूलभूत स्वतन्त्रताओं के सम्मान से सम्बन्धित प्रावधानों की आवश्यकताओं को स्वीकार किया था।

संयुक्त राष्ट्र संघ तथा मानव अधिकार
(UNITED NATIONS AND HUMAN RIGHTS)

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में मानव अधिकार सम्बन्धी पृथक् घोषणा तो नहीं शामिल है लेकिन चार्टर में अनेक स्थानों पर मानव का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। मानव अधिकारों को राज्यों के बीच संगठित सहयोग स्थापित करने तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक समझा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में मानव अधिकार के सम्बन्ध में निम्नलिखित सन्दर्भ मिलता है :

(1) **चार्टर की प्रस्तावना में**, ''मानव के मौलिक अधिकारों, मानव के व्यक्तित्व के गौरव तथा महत्व में, तथा पुरुष एवं स्त्रियों के समान अधिकारों में'' विश्वास प्रकट किया गया है।

संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार
(FUNDAMENTAL RIGHTS GRANTED BY THE CONSTITUTION)

भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, किन्तु 44वें संवैधानिक संशोधन (1979) द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है। अब सम्पत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी-अधिकार के रूप में है। परिणामतया मूल अधिकारों की संख्या 6 हो गई है। ये अधिकार हैं : (1) समानता का अधिकार, (2) स्वतन्त्रता का अधिकार, (3) शोषण के विरुद्ध अधिकार, (4) धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार, (5) संस्कृति तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, (6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

(1) समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)

समानता का अधिकार प्रजातन्त्र का आधार-स्तम्भ है, अतः भारतीय संविधान द्वारा सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता, राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर और सामाजिक समानता प्रदान की गई है एवं समानता की स्थापना के लिए उपाधियों का निषेध किया गया है।

कानून के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14)—अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस **अनुच्छेद** के प्रथम भाग के शब्द '**कानून के समक्ष समानता**' ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है और इसके द्वारा राज्य पर बन्धन लगाया गया है कि वह सभी व्यक्तियों के लिए एक-सा कानून बनाएगा तथा उन्हें एकसमान लागू करेगा। **सर आइवर जेनिंग्ज** के अनुसार इसका अर्थ यह है कि '**समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का व्यवहार एक-सा होना चाहिए।**' '**कानून का समान संरक्षण**', यह वाक्य अमरीकी संविधान से लिया गया है और इसका तात्पर्य यह है कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय की शरण ले सकता है।

कानून के समक्ष समानता का तात्पर्य यह नहीं है कि औचित्यपूर्ण आधार पर और कानून द्वारा मान्य किसी भेदभाव की भी व्यवस्था नहीं की जा सकती है। यदि कानून कर लगाने के सम्बन्ध में धनी और गरीब में और सुविधाएं प्रदान करने में स्त्रियों और पुरुषों में भेद करता है तो इसे कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता।

सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले में किन्नरों को अलग लैंगिक श्रेणी का दर्जा मिला

सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में किन्नरों को एक अलग पहचान देते हुए उन्हें पृथक् लैंगिक श्रेणी में रखने तथा उनके लिए शिक्षा, रोजगार एवं चिकित्सा सहित सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने का केन्द्र व राज्य सरकारों को आदेश दिया है। न्यायामूर्ति के. एस. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी की खण्डपीठ ने 15 अप्रेल, 2014 को दिए गए अपने फैसले में कहा कि किन्नरों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय का मानते हुए उन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण दिया जाना चाहिए तथा उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के बाद अब वोटर आईडी जैसे किसी भी सरकारी दस्तावेज में जेण्डर बताने के लिए तीसरी श्रेणी भी होगी अर्थात अब **महिला, पुरुष** और **किन्नर** श्रेणियां होंगी।

समानता के अधिकार के अन्तर्गत मूल संविधान में महिला-पुरुष की समानता की बात कही गई है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद अब यह शब्द संशोधित होकर महिला-पुरुष और किन्नर की समानता में बदल गए हैं।

धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद 15)—कानून के समक्ष समानता के साथ-साथ अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि "**राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा।**" कानून के द्वारा निश्चित किया गया है कि सब नागरिकों के साथ दुकानों, होटलों तथा सार्वजनिक स्थानों—जैसे कुओं, तालाबों, स्नानगृहों, सड़कों, आदि के प्रयोग के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा।

राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर (अनुच्छेद 16)—**अनुच्छेद** 16 के अनुसार, "**सब नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे और इस सम्बन्ध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग**

राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध—भारत राज्य का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष राज्य का है, जिसे धार्मिक क्षेत्र में निष्पक्ष रहना है। अतः **अनुच्छेद** 28 में कहा गया है कि "**राजकीय निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इसके साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा।**"

किन्तु अन्य अधिकारों की भांति ही धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार भी प्रतिबन्धरहित नहीं है। राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता एवं स्वास्थ्य इत्यादि के हित में इसके प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा सकता है। इसी प्रकार आर्थिक, राजनीतिक या अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक हित की दृष्टि से राज्य धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य सामाजिक हित और सुधार सम्बन्धी कार्य भी कर सकता है, चाहे ऐसा करते हुए धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप ही क्यों न करना पड़े।

इस प्रकार सार्वजनिक हित की दृष्टि से उचित प्रतिबन्धों के साथ संविधान के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों के लिए धार्मिक स्वतन्त्रता की व्यवस्था की गई है।

(5) संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (Cultural and Educational Rights) (अनुच्छेद 29 और 30)

हमारे संविधान के द्वारा भारत में सभी नागरिकों को संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी स्वतन्त्रता का अधिकार भी प्रदान किया गया है। **अनुच्छेद** 29 के अनुसार, "**नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।**" यह भी कह दिया गया है कि किसी राजकीय या राजकीय सहायता से संचालित शिक्षण संस्था में प्रवेश के सम्बन्ध में मूलवंश, जाति, धर्म और भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की संस्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार होगा। यह भी व्यवस्था की गई है कि शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने में राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वे धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन हैं।

44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सम्पत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करने का जो कार्य किया गया है उसके सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इससे अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा इन शिक्षण संस्थाओं के प्रशासन के अधिकार पर कोई आघात नहीं पहुंचेगा।

(6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies) (अनुच्छेद 32)

संविधान में मूल अधिकारों के उल्लेख से अधिक महत्वपूर्ण बात उन्हें क्रियान्वित करने की व्यवस्था है, जिसके बिना मूल अधिकार अर्थहीन सिद्ध होंगे। संविधान निर्माताओं ने इस उद्देश्य से संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी संविधान में स्थान दिया है, जिसका तात्पर्य यह है कि नागरिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की शरण ले सकते हैं। इन न्यायालयों के द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित उन सभी कानूनों और कार्यपालिका के कार्यों को अवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हों। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की व्यवस्था के महत्व को दृष्टि में रखते हुए **डॉ. अम्बेडकर** ने कहा था, "**यदि कोई मुझसे यह पूछे कि संविधान का वह कौन-सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्यप्राय हो जाएगा, तो इस अनुच्छेद** (अनुच्छेद 32) **को छोड़कर मैं और किसी अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। यह तो संविधान का हृदय तथा आत्मा है।**"[1] भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश **गजेन्द्र गडकर** ने इसे '**भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण**' और संविधान द्वारा स्थापित 'प्रजातान्त्रिक भवन की आधारशिला'[2] कहा है।

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निम्न पांच प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं :

(अ) बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)—व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के लिए यह लेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बन्दी बनाया

1 "Article 32 (Rights of Constitutional Remedies) is the heart and soul of the constitution."
—Dr. Ambedkar, *C. A. D.* Vol. III, No. 23., p. 953.

2 Gajendra Gadkar, *The Constitution of India—Its Philosophy and Basic Postulates*, pp. 60 and 63.